

**झारखण्ड लोक सेवा आयोग**  
**सर्कुलर रोड, रांची-834001**

विज्ञापन संख्या – 01/2015

ऑनलाइन (Online) आवेदन करने की  
अंतिम तिथि-15.09.2015

**विज्ञापन**

**(झारखण्ड लोक सेवा आयोग षष्टम् संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा)**

झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अधिचाचित निम्नांकित राजपत्रित पदों के लिए अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन(Online) विहित-प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

**1. रिक्त पदों का विवरण:-**

SL. No.	Services	Total vacancies	UNR	ST	SC	BC-I	BC-II	Women reserved seat 05%	Other: Sports/ Ex-Serviceman 02%	Handicapped reservation		
										Blind 01%	Dumb/Deaf 01%	Locomotive 01%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	झारखण्ड प्रशासनिक सेवा	10	08	02	00	00	00	-	-	-	-	-
2	झारखण्ड वित्त सेवा	31	11	17	00	03	00	-	-	-	-	-
3	झारखण्ड सामाजिक सुरक्षा सेवा	03	02	01	00	00	00	-	-	-	-	-
4	झारखण्ड सूचना सेवा	07	06	00	01	00	00	-	-	-	-	-

नोट:- सेवाओं एवं पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

**2. वेतनमान:-**

झारखण्ड प्रशासनिक सेवा	9300 – 34800 ग्रेड पे – 5400
झारखण्ड वित्त सेवा	9300 – 34800 ग्रेड पे – 5400
झारखण्ड सामाजिक सुरक्षा सेवा	9300 – 34800 ग्रेड पे – 4800
झारखण्ड सूचना सेवा	9300 – 34800 ग्रेड पे – 4800

**3. शैक्षणिक योग्यता:-**

आवेदक के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था/मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी संकाय में कम से कम स्नातक उपाधि की योग्यता होना अनिवार्य है।

**4. उम्र गणना की तिथि:-** षष्टम् संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता प्रतियोगिता परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के उम्र की गणना की तिथि **01.08.2014** होगी। झारखण्ड वित्त सेवा के लिए उम्र की गणना **01.08.2010** के आधार पर की जाएगी।

**5. उम्र सीमा:-**

- (क) अनारक्षित- अधिकतम 35 वर्ष।
- (ख) अनु0जनजाति एवं अनु0जाति (पुरुष एवं महिला)- अधिकतम 40 वर्ष।
- (ग) पिछड़ा वर्ग (BC-II)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-I) – अधिकतम 37 वर्ष।
- (घ) महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग (BC-II) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-I)- अधिकतम 38 वर्ष।

**नोट:-**

- (i) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा, झारखण्ड सूचना सेवा के लिए न्यूनतम उम्रसीमा 22 वर्ष निर्धारित है।
- (ii) झारखण्ड सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड वित्त सेवा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित है।

- (iii) झारखण्ड राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो उनको अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 (पांच) वर्षों की छूट दी जायेगी। निगम, बोर्ड, स्थानीय निकाय के कर्मी सरकारी सेवक के रूप में मान्य नहीं होंगे एवं उन्हें उम्र सीमा में इस तरह की छूट नहीं दी जायेगी।
- (iv) विकलांग (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त) उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 (पांच) वर्षों की छूट दी जायेगी।

6. **अवसरों की संख्या:**— कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 2959 दिनांक 03.04.2013 द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के अवसरों को निम्न रूप से रखा गया है—

- (क) अनारक्षित वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए — चार अवसर
- (ख) पिछड़ी/अत्यन्त पिछड़ी जाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए — पांच अवसर
- (ग) महिला(अनारक्षित, पिछड़ी एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए — छः अवसर
- (घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए — अवसरों की कोई सीमा नहीं।

7. **आरक्षण का लाभ:**—

- (क) ऑनलाइन (Online) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (ख) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को झारखण्ड राज्य के सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। **झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।**
- (ग) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवारों को चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथा वे अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार माने जायेंगे। झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-I) तथा पिछड़ा वर्ग (BC-II)** के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से क्रमशः विभागीय पत्रांक-5682 दिनांक 22.10.2008 एवं विभागीय ज्ञापांक-10007 दिनांक 29.08.2012 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-I अथवा प्रपत्र-II में निर्गत प्राधिकार, प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि का विवरण ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा **अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अनारक्षित श्रेणी के लिए मान्य होगी।** निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट [www.ipsc.gov.in](http://www.ipsc.gov.in) पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में प्रमाण पत्रों के उल्लेख करते समय यह सावधानी अवश्य बरती जाए कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन में उल्लेखित प्रमाण पत्रों को ही मुख्य परीक्षा के आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- (घ) खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-1709 दिनांक 12.09.2007 द्वारा श्रेणी-II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा।

प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप स्तर की प्रतियोगिता	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता	विश्व

(ड.) विकलांग कोटे के आरक्षण के दावे की स्थिति में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प-7281 दिनांक 07.11.2007 के आलोक में केवल ऐसे उम्मीदवार सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो तथा आरक्षण का लाभ उठाने हेतु संकल्प की अनुबंध-1 में दिए गए प्रारूप में सक्षम मेडिकल बोर्ड एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण पत्र का पूर्ण विवरण ऑनलाइन आवेदन में भरना अनिवार्य होगा। (विहित प्रारूप आयोग के वेबसाइट [www.ipsc.gov.in](http://www.ipsc.gov.in) पर उपलब्ध है)।

**8. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-12165 दिनांक-31.10.2011 के आलोक में निम्नांकित प्रावधान लागू होंगे:-**

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-ईस्ट (एस0सी0टी0), दिनांक-08.09.1993 तथा 36011/1/98 ईस्ट (रेंज) दिनांक-01.07.1998 से राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन उन मानकों के आधार पर होता है, जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए विहित हो उन्हें आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध सामंजित नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में जब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तुलना में ऊपरी उम्र सीमा, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या में छूट/रियायत प्रदान कर की जाती है एवं विस्तारित विचारण क्षेत्र के आधार पर होता है तो वे संबंधित आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध सामंजित होंगे। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित रिक्तियों के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

**9. चिकित्सकीय जाँच:-** नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने की अनिवार्यता रहेगी और सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता के मापदण्ड के अनुरूप होना होगा। उन्हें वैसे सभी चिकित्सकीय जाँचों में उत्तीर्ण होना होगा, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

**परीक्षा का स्वरूप:-**

10. चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा (लिखित एवं साक्षात्कार) आयोजित की जायेगी

(A) प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् है:-

**SYLLABUS FOR THE REVISED PRELIMINARY CIVIL SERVICES  
EXAMINATION OF JHARKHAND**

The Preliminary Examination shall consist of two compulsory papers, each of 200 marks namely,

(i) **Civil Services Aptitude Test (CSAT) Paper-I and**

(ii) **Civil Services Aptitude Test (CSAT) Paper-II**

**Both the question papers shall be of multiple choice, objective type.**

The question papers will be set both in Hindi and English. However, questions set to test the comprehension skill and knowledge of language and grammar shall be only in the concerned language, without providing Hindi or English translation thereof.

**PAPER-I**

**Civil Services Aptitude Test**

**Total Marks:200**

**Time: 2 hours**

**This paper will consist of 100 objective type questions, each of 2 marks, drawn from the subjects listed below. Candidates will have to answer all the questions.**

(A) **History of India:**

15 Questions

1. Ancient India (5 questions)
  2. Medieval India (5 questions)
  3. Modern India (5 questions)
- (B) **Geography of India:** 10 Questions
1. General Geography (3 questions)
  2. Physical Geography (3 questions)
  3. Economic Geography (2 questions)
  4. Social & Demographic Geography (2 questions)
- (C) **Indian Polity and Governance:** 10 Questions
1. Constitution of India (4 questions)
  2. Public Administration and Good Governance (4 questions)
  3. Decentralization: Panchayats & Municipalities (2 questions)
- (D) **Economic and Sustainable Development:** 10 Questions
1. Basic features of Indian Economy (4 questions)
  2. Sustainable Development and Economic issues (4 questions)
  3. Economic Reforms and Globalization (2 questions)
- (E) **Science & Technology:** 15 Questions
1. General Science (6 questions)
  2. Agriculture & Technology Development (6 questions)
  3. Information & Communication Technology (3 questions)
- (F) **Jharkhand Specific Questions (General Awareness of its History, Society, Culture & Heritage :)** 10 Questions
- (G) **National & International Current Events :** 15 Questions
- (H) **General Question of Miscellaneous nature, not requiring subject specialization, such as, :** 15 Questions
1. Human Rights
  2. Environmental Protection, Bio-diversity & Climate Change
  3. Urbanization
  4. Sports
  5. Disaster Management
  6. Poverty and Un-employment
  7. Awards
  8. United Nations and other International Agencies

**PAPER-II**  
**Civil Services Aptitude Test**

**Total Marks:200**

**Time: 2 hours**

**This paper will consist of 100 objective type questions, each of 2 marks, drawn from the subjects listed below. Candidates will have to answer all the questions.**

1. Hindi and English Comprehension Skill (Xth standard) 15 Questions
2. Knowledge of Hindi and English Grammar 10 Questions

- (Class X level only)
3. Basic Numeracy (Numbers and their relations, Order of magnitude etc.) Class X only  
Data Interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc) – (Class X level only) 15 Questions
  4. General Mental Ability 15 Questions
  5. Logical Reasoning and Analytical Ability 15 Questions
  6. Interpersonal Skill, Including Communication Skills 15 Questions
  7. Decision Making and Problem Solving 15 Questions

10. **(B) SYLLABUS FOR THE MAIN EXAMINATION OF THE JHARKHNAD CIVIL SERVICES**

The Main Examination shall consist of six compulsory papers, common to all candidates. Two of these papers, each of 100 marks, shall be language based and the remaining four papers, each of 200 marks, shall be subject-based. The language-based papers shall be : (i) A composite paper of General Hindi & General English and (ii) A Language and literature paper of certain selected languages of which every candidate will have to opt. for one. The subject based papers shall be (i) Social Science (History & Geography) (ii) Indian Constitution Polity, Public administration and Good Governance (iii) Indian Economy, Globalization and sustainable Development and (iv) General Science, Environment & Technology Development.

**NOTE:-**The detailed syllabus of all above six paper (Including preliminary) is available on JPSC's website, [www.jpssc.gov.in](http://www.jpssc.gov.in)

11. **(C) Nature of combined civil services PT & Main Examinations (Including Interview) is as mentioned below:-**

**JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION**

Revised Scheme of Examination for Civil Services (SUBJECTS)	Duration (Hours)	Maximum Marks	Remarks
<b>(A) PRELIMINARY EXAMINATION (Screening Test)</b>			
<b>CSAT-Paper I</b>	<b>2 hours</b>	<b>200</b>	<b>OBJECTIVE TYPE</b>
<b>CSAT-Paper II</b>	<b>2 hours</b>	<b>200</b>	<b>OBJECTIVE TYPE</b>
<b>(B) MAIN EXAMINATION (No optional subjects. All are common compulsory Papers)</b>			
<b>Paper-I: General Hindi &amp; General English, having two separate sections on (i) General Hindi, and (ii) General English, each of 50 marks</b>	<b>3 hours</b>	<b>100</b>	<b>DESCRIPTIVE TYPE</b> This paper is qualifying in which minimum 30 marks is mandatory
<b>Paper-II: Language and Literature: Under this paper, every candidate will have to opt for one Language and Literature out of fifteen listed by the Commission.</b>	<b>3 hours</b>	<b>100</b>	<b>DESCRIPTIVE TYPE</b>
<b>Paper-III: Social Sciences, having two distinct sections on (i) History (ii) Geography, each of equal weightage.</b>	<b>3 hours</b>	<b>200</b>	<b>DESCRIPTIVE TYPE</b>

<b>Paper-IV: Indian Constitution &amp; Polity, Public Administration &amp; Good Governance</b>	<b>3 hours</b>	<b>200</b>	<b>AS ABOVE</b>
<b>Paper-V: Indian Economy, Globalization and Sustainable Development</b>	<b>3 hours</b>	<b>200</b>	<b>AS ABOVE</b>
<b>Paper-Vi: General Environment &amp; Development Sciences, &amp; Technology</b>	<b>3 hours</b>	<b>200</b>	<b>AS ABOVE</b>
<b>Total Marks (Main Examination)</b>	<b>--</b>	<b>1000</b>	<b>--</b>
<b>Personality Test</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>--</b>
<b>Grand Total</b>	<b>--</b>	<b>1100</b>	<b>--</b>

12. प्रारंभिक, मुख्य एवं मौखिक परीक्षा का न्यूनतम अर्हतांक:—

अनारक्षित	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग-I	34 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग-II	36.5 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

न्यूनतम अर्हतांक का उपर्युक्त रूप में निर्धारण सभी सेवाओं/संवर्गों की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विभिन्न आरक्षण कोटियों के लिए सभी लिखित परीक्षाओं (वस्तुनिष्ठ/विषयनिष्ठ) पर समान रूप से लागू रहेगा। अन्तर्वीक्षा (साक्षात्कार) के लिए उक्त न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। **मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र (सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी) में सभी कोटि के उम्मीदवारों को 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।**

13. रिक्त कोटिवार कुल पदों की **12 से 13 गुणा संख्या** में प्रारंभिक परीक्षा के न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करनेवाले अभ्यर्थियों को मेधाक्रमानुसार मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा एवं मुख्य परीक्षा में सफल घोषित होने वाले अभ्यर्थियों में से कोटिवार रिक्तियों की **ढाई से तोन गुणा संख्या** में अभ्यर्थियों को अन्तर्वीक्षा में बुलाया जायेगा।

14. **अपवाद:—** वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

15. **परीक्षा शुल्क:—**

(i) सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग- I एवं पिछड़ा वर्ग- II के लिए चालान द्वारा State Bank of India के किसी भी शाखा के माध्यम से या Online Payment Gateway के द्वारा **400 ₹0 परीक्षा शुल्क + 50 ₹0 बैंक चार्ज, कुल-450 ₹0** एवं झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए **100 ₹0 परीक्षा शुल्क +50 ₹0 बैंक चार्ज, कुल-150 ₹0** देय होगा। मुख्य परीक्षा के लिए अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(ii) Offline Payment के लिए Genrated चालान Online Application System में स्वतः उपलब्ध रहेंगे तथा भुगतान निम्न खाते में किया जा सकता है।

**बैंक** — एस0बी0आई0 लालपुर शाखा, राँची  
**खाता संख्या** — 35150282186  
**शाखा कोड** — 12623  
**IFSC CODE—** SBIN0012623

- (iii) चालान द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान करने के मामले में बैंक की मोहर सहित चालान की JPSC प्रति Colour Scan करने के पश्चात वेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक होगा जिसके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (iv) Online Payment Gateway के लिए Credit Card/ Debit Card/Net Banking/Cash Card/ Wallet के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है।
- (v) विकलांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।

16. (A) **आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश**

- (क) प्रारंभिक परीक्षा हेतु Online आवेदन के समय किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।
- (ख) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (ग) प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरे। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।
- (घ) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व आवेदन कैसे करें, “How to apply” अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. – 0651/2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (ङ) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित Technical Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है :-
  1. 07042294208
  2. 07042294209
  3. 07042294210
- (च) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.—07042294212 संपर्क किया जा सकता है।
- (छ) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे।
- (ज) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बाएं अंगूठे का निशान स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बाएं अंगूठे का निशान नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (झ) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (ञ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है।
- (ट) जन्म तिथि— आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।
- (ठ) आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, खेलकूद संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे। अन्तर्वीक्षा के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (ड) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

- (द) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (ण) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (त) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा
- (B) कदाचार (Misconduct) के निम्न मामलों में अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती**

है:-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false and suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
  - (i) To be disqualified from selection for which he/she is a candidate, and/or
  - (ii) To be debarred either permanently or for a specified period:-
  - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

17. मुख्य परीक्षा :- (i) प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा हेतु पुनः विहित प्रपत्र में सभी प्रमाण-पत्रों की विवरणी समर्पित करना आवश्यक होगा।
- (ii) प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्रों में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।

18. अंतिम तिथि :-

- (क) ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक-**21.08.2015** सुबह **10:00 बजे** से आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर भरा जा सकेगा।
- (ख) सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र Online Application System के माध्यम से दिनांक **15.09.2015** रात्रि **12.00 बजे** तक ही स्वीकार किये जायेंगे।
- (ग) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0/-  
सचिव  
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची।

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र-I

(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण पत्र  
(सभी कार्यों के लिए)

संख्या :- .....

तिथि :- .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री ..... निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला .....  
डाकघर ..... थाना ..... जिला .....  
राज्य ..... अनुसूचित जाति \*/ अनुसूचित  
जनजाति \* श्रेणी के अन्तर्गत ..... जाति/उप जाति के सदस्य हैं,  
जो झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जाति \*/ अनुसूचित जनजाति \* के रूप में  
मान्यता प्राप्त है ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... एवं/अथवा उनका/उनकी  
परिवार साधारणतः गांव/कस्बा ..... शहर ..... जिला .....  
राज्य ..... में निवास करते हैं ।

स्थान :-

तिथि :-

हस्ताक्षर:

सक्षम पदाधिकारी का

नाम .....

पदनाम .....

(कार्यालय की मुहर)

(नोट- जो लागू नहीं हो उसे काट दिया जाय।)

- \* बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जन जाति) संशोधन आदेश 1950
- \* अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीगती/कुमारी .....  
..... पुत्र/पुत्री ..... ग्राम/शहर .....  
..... थाना ..... जिला ..... झारखण्ड के रहने  
वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001\*,\*\* की धारा-2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .....  
..... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3482 दिनांक 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था0(एस.सी. टी.) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :-

तिथि :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम .....

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो नाम नहीं हों, उसे काट दिया जाय।)

- \* झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में अंकित जातियों/उप जातियों।
- \*\* झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या-3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2011, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय-समय पर यथा सशोधित।

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र सं. ....

तारीख .....

## निःशक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .....

आयुक्त

लिंग

पहचान चिन्ह .....

निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता

से ग्रस्त -

- क. गति विषयक (लोकोमीटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉल्लिज)
- (i) दोनों टांगे (बी एल) - दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
- (ii) दोनों बाहें (बी ए) - दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच  
(ख) कमजोर पकड़
- (iii) दोनों टांगे और बाहें (बी एल ए) - दोनों टांगे और दोनों बाहें प्रभावित
- (iv) एक टांक (ओ एल) - एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)  
(क) दुर्बल पहुँच  
(ख) कमजोर पकड़  
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- (v) एक बांह (ओ ए) - एक बांह प्रभावित  
(क) दुर्बल पहुँच  
(ख) कमजोर पकड़  
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- (vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) - पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)
- (vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) - मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।
- ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि
- (i) बी - अंधापन
- (ii) पी बी - आंशिक रूप से अंधता
- ग. कम सुनाई देना
- (i) डी - बधिर
- (ii) पी डी - आंशिक रूप से बधिर  
(संश्लेषण को हटा दें तो लागू न हो)

24  
G

NAME &  
Cell

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशासनात्मक प्रक्रिया की जाती है। ..... वर्षों ..... महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशासनात्मक प्रक्रिया की जाती है।
3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत ..... है।
4. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती है :-
- (i) एफ - अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।      हाँ/नहीं
  - (ii) पी पी - धकैलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं/      हाँ/नहीं
  - (iii) एल - उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।      हाँ/नहीं
  - (iv) के सी - घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।      हाँ/नहीं
  - (v) बी - झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।      हाँ/नहीं
  - (vi) एस - बैठकर कार्य कर सकते/सकती हैं।      हाँ/नहीं
  - (vii) एस टी - खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।      हाँ/नहीं
  - (viii) डब्ल्यू - घलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं।      हाँ/नहीं
  - (ix) एस ई - देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।      हाँ/नहीं
  - (x) एच - सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।      हाँ/नहीं
  - (xi) आर.डब्ल्यू - पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।      हाँ/नहीं

(डॉ ..... )      (डॉ ..... )      (डॉ ..... )  
सदस्य      सदस्य      अध्यक्ष  
चिकित्सा बोर्ड      चिकित्सा बोर्ड      चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/  
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित,  
(मुहर सहित)

जो लागू न हो काट दें।